संख्या-582/2020/904/22-2-2020-17(1051)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर 2020***

विषय:- राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की 150 वीं जयन्ती (दिनांक 2 अक्टूबर, 2019) के अवसर पर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध विशिष्ट श्रेणी के बंदियों को विशेष परिहार देकर समयपूर्व रिहा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24568/प्रोवेशन-6/147/26जनवरी,2020, दिनांक 05.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रजनी पत्नी स्व0 मोहन कुमार जो कासूपुर तुलहेडी, थाना-मीरापुर, जनपद-मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। अभियुक्ता रजनी एवं उसके प्रेमी अमित से परेशान होकर रजनी के पति मोहन कुमार द्वारा आत्महत्या कर ली गयी गयी थी। मृतक मोहन के बैग में मिले सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार रजनी और अमित को ठहराया गया है। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-175/2015 में भा0द0वि0 की धारा-306 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-16, मेरठ के आदेश दिनांक 25.08.2017 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रू0 10,0000/- के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2019 तक 04 वर्ष 11 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी द्वारा कारित घटना की गंभीरता एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सिद्धदोष महिला बन्दी रजनी पत्नी स्व0 मोहन कुमार को समयपूर्व **रिहा किये जाने** की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी रजनी पत्नी (बन्दी संख्या-334/2017) स्व0 मोहन कुमार, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-582/2020/904(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in